(307)

III/निग०/रीवा/भू रा०/2017/3403

(415)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, म०प्र०

Rs. 30/-

1. बेवा सुभगया कुशवाहा पत्नी स्व. छत्रधारी प्रसाद कुशवाहा, निवासी ग्राम बहुरीबांध, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०
2. श्रीमती यशोदा कुशवाहा पुत्री स्व. छत्रधारी प्रसाद कुशवाहा, पत्नी भगवानदीन वर्मा, निवासी ग्राम सांव, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०
3. महेश कुशवाहा पिता स्व. श्री छत्रधारी प्रसाद कुशवाहा, निवासी ग्राम बहुरीबांध, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०

.... निगराकारगण/आवेदकगण

बनाम

जयराम वर्मा तनय स्व. छत्रधारी प्रसाद कुशवाहा, निवासी ग्राम बहुरीबांध, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०

.... गैर निगराकार/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश तहसीलदार महोदय, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, म०प्र० के प्रक. क्र. 88/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि आवेदक/निगरानीकर्तागण व अनावेदक एक ही परिवार के सदस्य है। आवेदिका क्र. 1 के पति व आवेदकगण व अनावेदक के पिता

यशोदा

(307)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 3403 जिला–रीवा

श्रीमती शुभगया कुशवाहा / जयराम वर्मा

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्रमांक 88 / अ–6 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	